

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
चान्दपुर (बिजनौर)

संख्या

विषय :- प्रार्थना - पत्र वास्ते जाति प्रमाण पत्र बनवाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थनी, प्रार्थना पत्र के अन्त में दिये गये पते का/की रहने वाला/वाली है तथा जाति से चमार है जो अनु. सूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। मुझे अपने जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी/प्रार्थनी : दीप्ति देस

दिनांक माह वर्ष

1 1 0 6 20 0 1 3



नाम : दीप्ति देस
पिता/पति का नाम : श्री नरेश कुमार
नि० ग्राम/नगर/मौहल्ला : बाबरपुर
परगना : चान्दपुर तहसील चान्दपुर

जिला-बिजनौर (उ० प्र०)

रिपोर्ट :- कमिलेयर के अन्तर्गत आता है या नहीं

महोदय प्रार्थनी : दीप्ति देस पुत्री श्री नरेश कुमार नि० ग्राम बाबरपुर परगना
लेखपाल रिपोर्ट :- त. तहसील - चान्दपुर नि० बिजनौर सी अनु. सूचित जाति
चमार है। रिपोर्ट सेवा में उपरि है।
11/6/13

कानूनगो रिपोर्ट : महोदय लेखपाल आया/आता प्रार्थनी : दीप्ति देस पुत्री श्री नरेश कुमार नि०
ग्राम बाबरपुर परगना तहसील चान्दपुर नि० बिजनौर सी अनु. सूचित
जाति चमार है। रिपोर्ट सेवा में उपरि है।
12/6/13
रा० नि० चान्दपुर

"राष्ट्र हित में वृक्ष जल व बिजली बचाये"

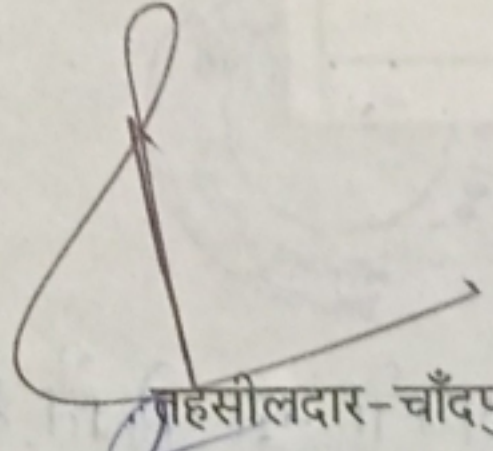
कार्यालय तहसीलदार-चाँदपुर, जनपद-बिजनौर
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या- 035134 001841



दिनांक- 12/6/13

राजस्व निरीक्षक क्षेत्र चान्दपुर की जाँच आख्या दिनांक 12/6/13 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि दीप्ति देस पुत्री श्री नरेश कुमार निवासी बालरपुर - परगना - व - तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर की उत्तर प्रदेश की जाति चमार के व्यक्ति है। जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश-1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है अनुसूचित जाति उ० प्र० आदेश-1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में शासनादेश सं०-484/क-1/94-1/1994 दिनांक 29.03.1994 के अन्तर्गत है। जिसे नवीन शासनादेश संख्या-22/16/92 टी०सी०-111-क-2/2002 के अन्तर्गत मान्यता दी गयी है। दीप्ति देस तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के बालरपुर - परगना - व - तहसील-चाँदपुर व जिला बिजनौर में सामान्य रहती है। किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इस कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


तहसीलदार-चाँदपुर
जिला-बिजनौर
तहसीलदार
चान्दपुर (बिजनौर)

उपरोक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर किया जाता है।